Authoritative English text of this Department Notification No. TBD(A)3-3/2010, Dated 25th November, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of Constitution of India.

> Government of Himachal Pradesh Tribal Development Department

No. TBD(A)3-3/2010,

25th November, 2010 Dated

**NOTIFICATION** 

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Chowkidar-cum-Sweeper, Class-IV (Non-Gazetted), in the Himachal Pradesh Tribal Development Department as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement

- 1. (i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Tribal Development Department Chowkidar-cum-Sweeper, Class-IV Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2010.
  - These rules shall come into force from the (ii) date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, (Bhim Sen) Principal Secretary(TD) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. TBD(A) 3-3/2010 Dated: 25th November, 2010 Copy forwarded for information to :-

- All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P Shimla-2.
- 2. The Pricipal Accountant General (Audit), H.P. Shimla-171003.
- The Controller, H.P. Printing Stationery Deptt. Shimla-171005 3. for publication in the Extra Ordinary Rajpatra.
- The Senior Law Officer, Law Deptt. (Hindi) H.P. Secretariat, 4. Shimla-171002.
- The Commissioner (TD), HP Shimla-2. 5.
- The Additional Commissioner (TD), HP Shimla-2. 6.
- 7. 150 spare copies

(Anupam Kashyap) Joint Secretary (TD) to the Government of Himachal Pradesh.

Recruitment and promotion rules for the post of Chowkidar-cum-Sweeper, Class-IV (Non-Gazetted) in Tribal Development Department.

1. Name of Post : Chowkidar-cum-Sweeper

2. Number of Posts : 1 (One)

3. Classification : Class- IV (Non-Gazetted)

(Ministerial Services).

4. Scale of Pay : (I) Pay band for regular incumbents:

PB-1 Rs. 4900-10680+1300 GradePay. (II) Emoluments for Contract Employees: Rs. 6200 as per details given in Col. 15-A.

5. Whether "Selection": Not applicable.

Post or "Non-Selection" Post;

6. Age for Direct : Between 18 and 45 years.

recruitment

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession however, be admissible to such staff of the Public Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

- 7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruitment;
- a) ESSENTIAL QUALIFICATION:

Should be Middle Pass or its equivalent from a recognized Board of School Education / institution.

- b) <u>DESIRABLE QUALIFICATION (S)</u>: Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes;

Age : Not applicable.

Education Qualification: Not applicable.

9. Period of Probation, if any;

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods;

100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on Contract basis. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A & will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer is to be made;

Not applicable.

12 If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?

Not applicable.

13 Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment;

Not applicable.

14 Essential requirement for a direct recruitment;

A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15 Selection for appointment to the post by direct recruitment;

Selection for appointment to the post by contract appointment;

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the recruiting authority as the case may be so consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard syllabus etc. of which will be determined by the recruiting authority as the case may be.

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

#### (I) **CONCEPT**:

(a) Under this policy the Chowkidar-cum-Sweeper in Tribal Development Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extention/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

## (b) <u>POST FALLS OUT OF THE</u> <u>PURVIEW OF HPPSC/HPSSB:-</u>

The Commissioner, Tribal Development Department, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading news papers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules;

#### (II) EMOLUMENT PAYABLE

The Chowkidar-cum-Sweeper appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 6200/- P.M. (Which shall be equal to minimum of the pay band +Grade Pay). An amount of Rs. 190 (3% of the minimum of pay band+grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed

# (III)<u>APPOINTING/ DISCIPLINARY</u> <u>AUTHORITY</u>

The Commissioner, Tribal Development Department, Himachal Pradesh will be the appointing & disciplinary authority.

### (IV) SELECTION PROCESS

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. Commissioner, Tribal Development Department, Himachal Pradesh.

# (V) <u>COMMITTEE FOR SELECTION OF</u> <u>CONTRACTUAL APPOINTMENTS.</u>

As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. Commissioner, Tribal Development Department, Himachal Pradesh from time to time.

### (VI) AGREEMENT

After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

### (VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 6200/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 190 ( 3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He /She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per rules.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner.
- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

Not Applicable.

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or post(s).

16 Reservation;

- 17 Departmental Examination
- 18 Power to Relax;

Form of contract/agreement to be executed between theand the Government of Himachal Pradesh through Commissioner (Tribal Development).
This agreement is made on this
of
Governor, Himachal Pradesh through, Commissioner (Tribal Development), H.P. (here-in-after the SECOND PARTY)
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as aon contract basis on the following terms and conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractualwill be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual
5. Un-authorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractualwill not be entitled for Contractual Amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis

wherever required on administrative grounds.

7.	Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a
	Government/Registered Medical Officer/Practitioner. In case of Women
	candidates, pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit till
	the confinement is over. The women candidate should be re-examined for
	fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8.	Contractshall be entitled to TA/DA if required to go on
	tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable
	to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
9.	The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
	WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein set their nds the day, month and year first, above written.
IN	THE PRESENCE OF WITNESS:
1.	
••••	
	ame and full Address)
(110	and and run ruuressy
2.	
••••	
(Na	ame and full Address)
	(Signature of the FIRST PARTY)
IN	THE PRESENCE OF WITNESS
1.	
••••	
••••	
(Na	ame and full Address)
2.	

•••••

(Name and full Address.

(Signature of the SECOND PARTY)

# हिमाचल प्रदेश सरकार, जन—जातीय विकास विभाग संख्याःटी.बी.डी.(ए)3—3 / 2010 तारीख, शिमला 25 नवम्बर, 2010

# अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश जन जातीय विकास विभाग में चौकीदार—एवं—सफाईकर्ता, वर्ग — IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध—"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश जन जातीय विकास विभाग चौकीदार—एवं—सफाईकर्ता, वर्ग IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2010 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

आदेश द्वारा, भीम सैन प्रधान सचिव (जन जातीय विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार।

पु० संख्याः टी.बी.डी.(ए)3—3 / 2010 तारीख शिमला—2 25 नवम्बर, 2010

- 1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171 002
- 2. प्रधान महालेखाकार (आडिट), हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 003
- 3. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला—171005 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतू ।
- 4. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171 002
- 5. आयुक्त, जन जातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-2.
- 6. अतिरिक्त आयुक्त, जन जातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–2.
- 7. अतिरिक्त प्रतियां 150

(अनुपम कशयप**)** संयुक्त सचिव (जन जातीय विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार।

# जन जातीय विकास विभाग में चौकीदार-एवं-सफाईकर्ता, वर्ग- IV( अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम।

1 पद का नाम चौकीदार-एवं-सफाईकर्ता

2 पदों की संख्या १ (एक)

3 वर्गीकरण वर्ग-IV (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं ।

4 वेतनमान ।) नियमित पदधारियों के लिये वेतनमानः

पी0बी0-I 4900-10680 रूपए +1300/-ਹੀਤ ਪੇ

ा) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिये
 उपलिख्यां: 6200/- रूपए स्तम्भ संख्या
 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

5 चयन पद अथवा अचयन लागू नहीं।

पद

6 सीधी भर्ती के लिए आयु 18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों ) के अधीन अनुङ्गेय हैं:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुक्षेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे /िकए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/ स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गए हैं/ किये गए थे।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों ) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।
- रसीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:

# क) अनिवार्य अर्हताः

किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / संस्था से आठवीं पास या इसके समतुल्य होना चाहिए।

# ख) वांछनीय अर्हताः

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ठ दशाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता।

8 सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं: आयु ः लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता ः लागू नहीं।

9 परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनिधक ऐसी और अविध के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित करणों से आदेश दे।

10 भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतताः शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगें और स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होंगें।

१ १ प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/स्था नान्तरण किया जाएगाः लागू नहीं ।

12 यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः

लागू नहीं ।

- भर्ती करने में जिन 13 परिस्थितयों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः
- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी
- सीधी भर्ती के लिए 14 अनिवार्य अपेक्षाः
- का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
- सीधी भर्ती द्वारा पद 15 पर नियुक्ति के लिए चयनः
- सीधी भर्ती के मामले मे, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि यथास्थिति, अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद नियुक्ति के पर लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जाएंगी:-

### I) संकल्पना

लागू नहीं।

- (क) इस पॉलिसी के अधीन जन-जातीय विकास विभाग में चौकीदार-एवं-सफाईकर्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि परंतु के विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष, यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविधा की अवधि विस्तारित/नवीकृत की जाएगी।
- हिमाचल पद का प्रदेश लोक आयोग/हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र से बाहर होनाः

आयुक्त, जन जातीय विकास, विभाग हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, रिक्त पदो के ब्यौरे को कम से कम दो अग्रणी समाचार

पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं और अन्य पात्रता शर्ते रखने वाले पात्र अभ्यिथियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तो के अनुसार किया जाएगा ।

## (II) संदेय उपलब्ध्याः

संविदा के आधार पर नियुक्त चौकीदार-एवं-सफाईकर्ता को 6200/- रूपए की समेकित नियम संविदात्मक रकम (जो पे बेंड के न्यूनतम + ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलिक्ष्यों में 190/- रूपए की रकम (जो पद के पे बेंड के न्यूनतम + ग्रेड पे का उप्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगीं।

# (III) नियुक्ति/ अनुशासन प्राधिकारी

आयुक्त, जन जातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

## (IV) चयन प्रकिया

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम इत्यादि संबद्ध भर्ती प्राधिकारी। अर्थात् आयुक्त, जन-जातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा।

# (V) संविदात्मक नियुक्तों के लिए चयन समिति:-

जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात् आयुक्त, जन-जातीय विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

### **(VI**) करार

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध – ''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

## (VII) निबन्धन और शर्ते

- (क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 6200/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बेंड के न्यूनतम + ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/ वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 190 रूपए (पद के .पे बैंड के न्यूनतम + ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे विरष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूर्ति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा में अनिधकृत अनुपरिथित से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्त्तव्य (डियुटी) से अनुपरिथित की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- (इ.) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानानतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजर्स्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पूनः परीक्षण किया जाएगा।

- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ. आर० एस. आर, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगें। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों इत्यादि के लिए हकदार होगे।

16 आरक्षणः

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातीयों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षाः

लागू नहीं।

18 शिथिल करने की शक्तिः

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध-ख
वे साध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/ करार का परूप।
यह करार श्री/श्रीमतिपुत्र/ पुत्री श्रीपुत्र/ पुत्री श्री
संविदा पर नियुक्त
व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल
के मध्य, आयुक्त, जनजातीय विकास हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार
कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को किया गया।
द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम
पक्षकार नेके रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्ती पर
सेवा करने के लिए सहमति दी हैं:-
1. यह कि प्रथम पक्षकार के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और
को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की

सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा

करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम .....रूपए प्रतिमास होगी।

तभी संविदा की अवधि विस्तारित/नवीकृत की जाएगी।

- 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदा पर नियुक्त ...... एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त................................को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

- 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनिधकृत अनुपरिथित से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। प्रथम पक्षकार कर्त्तव्य (डियुटी) से अनुपरिथित की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां कहीं भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति..... का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी पद पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ०पी०एफ०/ जी०पी०एफ भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में				
1				
(नाम व पूरा पता)				
2				
(नाम व पूरा पता)	प्रथम	पक्षकार	के	हस्ताक्षर

(नाम व पूरा पता)	
नाम व पूरा पता)	द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर
	(नाम व पूरा पता)